

FOREST DEPARTMENT GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Officer, Ch. Dadri

Rohtak Road, Charkhi Dadri, Tel. No. 01250-297241, E-mail:-dfocharkhidadri@gmail.com

क्रमांक / 1630

दिनांक / 16-03-23

सेवा में

कार्यकारी अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य विभाग,
चरखी दादरी।

विषय: Diversion of 0.495 ha. Forest land for laying of water pipe line alongwith Loharu Canal for Raw water Pumping station to Nimer Badesara Water Works in Sub Division Badhra under Forest Division Charkhi Dadri.

—000—

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप द्वारा उपरोक्त कार्य करवाने हेतु Diversion केस बनाकर मण्डल कार्यालय, दादरी में स्वीकृति हेतु दिया गया था। आप द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में 0.495 है० वन क्षेत्र में 700 एम०एम० (28 Inch) पाईप लाईन बिछाने हेतु आवेदन किया गया है, परन्तु वन राजिक अधिकारी, बाढडा द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि यूजर ऐजेंसी द्वारा बिना अनुमति के ही कार्य शुरू करवा दिया गया है तथा मौके पर 700 एम०एम० (28 Inch) के स्थान पर लगभग 1800 एम०एम० (72 Inch) भूमि को प्रभावित कर 700 एम०एम० व 300 एम०एम० भूमि पर पाईप लाईन बिछवाया जा रहा है। जो कि नियमों के विरुद्ध है। आप द्वारा जो प्रस्ताव बनाकर इस कार्यालय में भेजा गया है उसी अनुसार कार्य करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यदि आप द्वारा 1800 एम०एम० (72 Inch) पाईप लाईन का कार्य करवाना है तो उसके लिए पुनः प्रस्ताव बनाकर नियमानुसार इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि उसी अनुसार स्वीकृति प्रदान की जा सके।

वन मण्डल अधिकारी,
चरखी दादरी।

पृ० क्रमांक:- 1631

दिनांक:- 16-03-23

इसकी एक प्रति माननीय उपायुक्त महोदया, चरखी दादरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी,
चरखी दादरी।